फर्द अहकाम

राजेन्द्र मीणा बनाम कालूराम वगै0

T/ 130/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 31.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस पत्रावली 2983-88 प्रोडक्ट नोटिस पत्रावली (सांगानेर)
31/5/2024	पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी बा0 अप्रार्थी सं0 2 से 5 उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हमलमें लाई जाती है। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 से 5 की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने ता0 फैसला मुलतवी उमरपत्ती को मौके की यथा स्थिति बरकरार रखने हेतु पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी सं0 2 से 5 ने उमरपत्ती को पाबन्द किये जाने में अनापत्ति जाहिर की। बहस उमरपत्ती व पत्रावली का अवलोकन करने पर मुलतवी के निस्तारण तक उमरपत्ती को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह [illegible] पटवार हल्का [illegible] स्थित ख0नं0 [illegible] हदबस्त ख0सं0 868 रकबा [illegible] हदबस्त 2 रकबा [illegible] 43 हदबस्त की भौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल समाप्त होकर रजिस्टर से बाद तामील व दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:52:27 IST
Reason: SelfAttested